Title: Need to omit Section 49 of Madhya Pradesh Reorganisation Act, 2000.

श्री विजय बघेल (दुर्ग): मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधान अनुसार छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश दोनों राज्यों में परिसंपत्तियों का बंटवारा 74:26 अनुपात के फार्मूले के तहत हुआ। उक्त अधिनियम की धारा 49 की वज़ह से वर्तमान में दोनों राज्यों के लगभग 6 लाख पेंशनर परिवारों को (जिसमें मध्यप्रदेश के लगभग 5 लाख व छत्तीसगढ़ के लगभग 1 लाख पेंशनर शामिल हैं) आर्थिक स्वत्वों का भुगतान नहीं हो सकता। उन्हे महंगाई भत्ता सहित अन्य विषयों को लेकर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । बिहार-झारखंड एवम् उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में पुनर्गठन के समय स्थाई बँटवारा किया गया था, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ के लिए क्यों लागू नहीं किया गया। जबकि तीनों राज्य का गठन एक साथ हुआ है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि उक्त धारा को छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश के कर्मचारियों के हित में विलोपित करने की कृपा करें ।